श्री राजेश मीणा, भा0प्र0से0, जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन– 2019 की तैयारी हेतु दिनांक 14.02.2018 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सर्वप्रथम बैठक में आये सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया। सम्बोधन के पश्चात् सभी कोषांग के निर्वाचन विभाग बिहार पटना से प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों से अब तक किये गये कार्य एवं कार्य योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. **प्रशिक्षण कोषांग** :– निर्वाचन विभाग बिहार, पटना से प्रशिक्षण प्राप्त श्री विरेन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता स्थानीय क्षेत्र संगठन कार्य प्रमण्डल मुंगेर से आयोग के द्वारा प्रशिक्षण में दिये गये निदेश से अवगत कराने को कहा गया। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण देने हेतु सबसे पहले भवन को चिन्हित कर लिया जाना है। कार्मिक कोषांग से कर्मियों की सूची प्राप्त कर लिया जाना है। इसके पश्चात् प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार कर अधिकत्तम 40–50 कर्मी का बैच बनाकर बहुत ही अच्छे ढ़ग से प्रशिक्षण दिया जाय। कर्मियों को कम से कम तीन बार प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

2. **शिकायत अनुश्रवण कोषांग** :– राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त श्री प्रभात भूषण, अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर मुंगेर द्वारा बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् आदर्श आचार संहिता उलंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं अन्य तरह से प्राप्त शिकायत की जॉच करना इस कोषांग का दायित्व है साथ ही आयोग द्वारा प्रयोग किये जा रहे सी0 विजिल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायत की जॉच एवं आवश्यक कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाना है।

3. **कम्युनिकेशन कोषांग** :– प्रशिक्षण प्राप्त श्री दीपक कुमार तिवारी सिटी मैनेजर नगर निगम मुंगेर द्वारा बताया गया की कम्यूनिकेशन प्लान चार स्तर का बनाया जाना है– (1) District Level Communication Plan (2) RO Level Communication Plan (3) ARO Level Communication Plan (4) Polling Station Communication Plan तैयार किया जाना है। अभी तक Communication Plan तैयार नहीं किया गया है। निदेश दिया गया है कि दिनांक 20/02/2019 तक अभी तक उक्त चारों प्लान तैयार कर लिया जाना है। बी0एल0ओ0 का मोबाईल नम्बर ERO NET/ जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त कर सत्यापन कर लिया जाय। इस संदर्भ सभी कोषांग/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

4. **निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग** :– बताया गया कि निर्वाचन व्यय कोषांग निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से कार्य करेगा एवं निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् एक माह तक कार्य करता रहेगा। इस कोषांग अन्तर्गत छः तरह का टीम कार्य करेगा। इस कोषांग द्वारा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक–एक Accounting Team का गठन किया जायेगा। नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन व्यय कोषांग से संबंधित सभी तरह के टीम का गठन ससमय कर लेने का निदेश दिया गया है।

5. **मीडिया/एम0सी0एम0सी कोषांग** :– जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं पर्यवेक्षण समिति (MCMC) कोषांग Paid News पर कड़ी नजर रखने का दायित्व है। इसके साथ ही जो विज्ञापन/समाचार प्रकाशित होते हैं, उसकी कटिंग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को भेजा जायेगा।

6. **प्रेक्षक कोषांग** :– निदेश दिया गया कि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 में प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों की आगवानी, उनके आवासन, भोजन एवं अन्य उपस्कर खासकर कम्पयूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था किया जाना है। सामान्यतः तीन प्रेक्षक – सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं स्वीप प्रेक्षक आने की संभावना है। इसके लिए पहले से सम्पर्क पदाधिकारी, कम्पयूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

7. **कार्मिक कोषांग** :– नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग द्वारा बताया गया कि अभी तक 9466 कर्मियों को डाटा इन्ट्री हो चुका है। 858 कर्मियों को डाटा इन्ट्री करना लंबित है। निदेश दिया गया कि पहले DDO को चिन्हित कर लिया जाय। साथ ही कोषागार, मुंगेर से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जाना है कि कर्मियों का नाम छूटा तो नहीं है। विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में जितने कर्मियों का डाटा इन्ट्री किया गया है, उससे कम से कम 20% अधिक कर्मियों को डाटा इन्ट्री किया जाना है।

8. **डाक मतपत्र/ETBPS कोषांग** :– इस कोषांग में निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में सेवा मतदाताओं को सशस्त्र बल के लिए ETBPS के माध्यम से पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा ससमय उपलब्ध कराया जाना है। इस तकनीक में विशेष रूप से सावधानी बरतने का निदेश दिया गया। साथ ही आवश्यक सामग्री खासकर QR Scanner Code की अधियाचना ससमय कर लेने का निदेश दिया गया, ताकि मतगणना में असुविधा न हो।

9. **स्वीप कोषांग/PwD कोषांग** :– नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस कोषांग को मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करना है। इसके लिए वर्त्तमान में सभी प्रखंड से गाँव–गाँव जाकर EVM एवं VVPAT की जानकारी लोगों को दी जा रही है। स्वीप के अन्तर्गत किये गये कार्यों का अभिलेख संधारण करना एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना महत्वपूर्ण है। निदेश दिया गया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तर/जिला स्तर पर गतिविधिया बढाई जाय। सभी कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार समाचार पत्र के माध्यम से हो यह आवश्यक है।

10. **पुलिस व्यवस्था/विधि व्यवस्था कोषांग** :– राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त श्री सियाराम सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य महत्वपूर्ण है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के मोटरसाईकिल का लॉगबुक खोलकर उन्हें ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। भेनरेबल एवं उसके कारक को चिन्हित किया जाना है। क्रिटिकल मतदान केन्द्र की भी पहचान किया जाना है। भौगोलिक रूप से दूरूह क्षेत्र को भी क्रिटिकल मतदान केन्द्र माना गया है। भेनरेबल/क्रिटिकल मतदान केन्द्र क्षेत्र का नजरी नक्शा सेक्टर पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा निदेश दिया गया कि सेक्टर पदाधिकारी के प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 18.02.2019 को 2:00 बजे अपराहन् में संग्रहालय सभा कक्ष में दिया जाएगा। इस आशय की सूचना सभी सेक्टर पदाधिकारी को दे देने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

11. **वाहन कोषांग** :– जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि इस जिला में बस आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। आगामी लोक सभा निर्वाचन में लगभग 90 बस की आवश्कता है, लेकिन मात्र 22 बस इस जिला में निबंधित है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

12. **सामग्री कोषांग** :– नोडल पदाधिकारी, सामग्री कोषांग द्वारा बताया गया कि चुनाव/मतदान केन्द्र पर लगभग 250 तरह की सामग्री होतें है। जिसकी पैकेटिंग एवं हर पैकेट में सभी सामग्री उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करना कोषांग का प्रमुख दायित्व है।

इसके अलावे ई0वी0एम0 कोषांग, आर्दश अचार संहिता कोषांग, सुविधा समाधान एवं आई0टी0 कोषांग एवं0 मतगणना कोषांग की भी समीक्षा की गई।

- चिन्हित DSE को प्रपत्र–7 प्राप्त कर शीघ्र निष्पादन करने का निदेश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया।
- Logical Error को प्रपत्र–8 प्राप्त कर निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
- अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची में MP/MLA/VVIP के नामों की प्रविष्टि का सत्यापन कर दिनांक 15.02.2019 तक प्रतिवेदन देने का निदेश सभी ERO को दिया गया।
- NGRS Portal के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन ससमय करने का निदेश सभी ERO को दिया गया।

जिला निर्वाचन –सह– जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पुनः समीक्षा/भ्रमण कर AMF (Assured Minimum Facility) के मानकों को शत–प्रतिशत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। शैडो जोन की पहचान करने एवं इस आशय का प्रमाण पत्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दो दिनों के अन्दर सौंपने का निदेश दिया गया।

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि इस चुनाव में तकनीकी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसलिए आई0टी0 सहायक की बहुत संख्या में आवश्यकता होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि आवश्यकता का आकलन कर लिया जाय तथा इसे कैसे पूरा किया जायेगा, इसका भी प्रस्ताव दिया जाय।

यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी अपने–अपने आवंटित प्रखंड का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंड अन्तर्गत स्वीप कार्यक्रम की समीक्षा करेंगें तथा इसे बेहतर करने का निदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगें। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी AMF की भी समीक्षा कर इसे सुनिश्चित करायेगें। निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने एवं आपस में समन्वय स्थापित रखने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 215 /नि0, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि :– सभी कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.02.19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।